न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम, जयपुर

परिवाद संख्याः 05/2021 GCMS No:- 2021/82

सरकार जरिय सुशील कुमार चोटवानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम।

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री विशाल गुप्ता पुत्र श्री कमलेश कुमार नाटाणी,
मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स दुकान नंबर 10 सूरजपोल रोड, जयपुर।
हाल नमूनीकरण पताः– 98ए राधिका विहार आगरा रोड, जामडोली, जयपुर।

... अप्रार्थी–अभियुक्त

परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (2)
एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः 13/12/2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2020 को समय 11.45 ए.एम. बजे मैसर्स बालाजी ट्रेडर्स दुकान नंबर 10 सूरजपोल रोड जयपुर (नमूनीकरण पता 98 ए राधिका विहार आगरा रोड, जयपुर) अपनी टीम के साथ पहुंचे व अपना परिचय दिया। उक्त संस्थान पर श्री विशाल गुप्ता उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं को उक्त संस्थान का खाद्य कारोबारकर्ता होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि संस्थान में आम जनता को विक्रय हेतु वनस्पति के 9 सील्ड टीन प्रत्येक 15 किलो रखे हुए थे, जिसे विक्रेता ने वनस्पति होना जाहिर किया। इनमें गुणवत्ता का शक होने विक्रेता को फार्म नंबर 5ए में नोटिस जारी करते हुए उक्त वनस्पति का नमूना लेने हेतु सूचित किया। मौके पर विक्रेता ने खाद्य रजिस्ट्रेशन आवेदन किया जाना जाहिर किया परन्तु मौके पर छायाप्रति पेश नहीं की। पीपे में रखे वनस्पति को सूँघने पर घी के फ्लेवर जैसी खुशबू आ रही थी जिससे मिलावट का अंदेशा होने वास्ते नमूना जांच 2 किलोग्राम वनस्पति नकद भुगतान 200 रूपये देकर खरीदा एवं रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री गोपाल खण्डेलवाल तथा श्री शशिकांत शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री विशाल गुप्ता एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री खाद्य कारोबारकर्ता विशाल गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा के चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा वनस्पति को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर स्टेट डी.ओ. के कोड एवं कमांक ई–4688 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं खाद्य

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर स्टेट डी.ओ. की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप नंबर ई–4688 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि हस्ताक्षर पेपर रिलप व रेपर दोनो पर आवें। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गयी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नंबर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो प्रार्थना पत्र के संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जयपुर प्रथम को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के पत्रांक 1115 दिनांक 12.11.2020 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/1560/एक्ट/2020/1580 दिनांक 03.11.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया था तथा फूड ऐनालिस्ट द्वारा इंगित किया गया है कि वनस्पति में भौतिक रूप से सूंघने पर बटर फ्लेवर जैसी गंध पाया गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त मूल पत्रावली को अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की तथा श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्र कमांक/753 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। जिसकी अनुपालना में परिवाद प्रस्तुत किया गया है तथा निवेदन किया है कि सबस्टैण्डर्ड वनस्पति जिसमें बटर फ्लेवरन जैसी गंध का उल्लेख फूड ऐनालिस्ट द्वारा किया गया है, का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(2) का उल्लंधन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे। प्रार्थी पक्ष द्वारा परिवाद प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी (अभियुक्त) को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन शर्मा उपस्थित आये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

पत्रावली पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस प्रार्थी पक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड वनस्पति का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उपधारा 2(2)का उल्लंघन किया है, अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 52 व 53 में निर्धारित अनुसार दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सचिन शर्मा उपस्थित आये। अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि जांच रिपोर्ट अप्रार्थी को नहीं भेजी गयी एवं जांच रिपोर्ट को देखने से ऐसी कोई मिलावट होना नहीं पाया गया है, जिससे आम जनता को हानिकारक हो। इसलिए परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाकर अप्रार्थी के विरूद्ध शास्ति माफ करने की कृपा करें एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध दर्ज प्रकरण को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर प्रार्थी पक्ष एवं अप्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत दलील पर गौर किया तथा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी–अभियुक्त द्वारा सबस्टण्डर्ड वनस्पति (**physical appearaance smell which is resembling the flavour of ghee**) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की उप धारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में ऐसे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो। अतः उक्त कृत्य के लिये अप्रार्थी–अभियुक्त पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के अन्तर्गत अपराध कारित होने पर शास्ती राशि रू0 40,000/–(अक्षरे चालीस हजार रूपये) लगाई जाती है। अप्रार्थीगण–अभियुक्तगण जुर्माना राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट हैड में 15 दिवस की अवधि में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करा कर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे। प्रार्थी पक्ष को निर्णय की प्रति पालना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति.कलक्टर एवं अति.जिला
मजिस्ट्रेट–प्रथम जयपुर